न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

राजस्व वाद संख्या : **118/2020**

GCMSNo.- : **2020/00260**

–: वादी :–

1. चम्पालाल पुत्र गुलाराम, जाति मेघवाल, निवासी गांव बाइसा, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. चम्पा पत्नि पाचू
2. भीका पुत्र हरजी
3. जिमना पत्नि हरजी
4. लक्ष्मण पुत्र बींजा
5. योगेश पुत्र बींजा
6. ढगलाई पत्नि बींजा
7. गिरधारी पुत्र चन्द्रा
8. किशना पुत्र चन्द्रा
9. हडमान पुत्र चन्द्रा
10. घनश्याम पुत्र चन्द्रा
11. श्यामलाल पुत्र चन्द्रा
12. बिदामी पत्नि चन्द्रा
13. मंगाराम पुत्र नेना
14. खेताराम पुत्र नेना
15. श्यामलाल पुत्र नेना
16. अनोपी पत्नि नेना कौम कुम्हार साकिन ढाणी भीवगढ।
17. सायरी पत्नि नेना
18. साबीर पुत्र भोला
19. बलवीर पुत्र भोला
20. ममता पुत्री भोला
21. महावीर पुत्र हल्ला
22. कचरू पुत्र नेमा
23. मिसरू पुत्र नेमा
24. सीता पुत्री नेमा कौम मेहरात साकिन ढाणी भीवगढ।
25. तुलसी पुत्र दयालराम
26. छोटुराम पुत्र दयालराम
27. पतासी देवी पत्नि दयालराम
28. मंजूदेवी पुत्री दयालराम
29. संजूदेवी पुत्री दयालराम
30. मा[illegible] पुत्रि दयालराम कौम रेगर सा[illegible] ढा[illegible] भीवगढ।
31. [illegible] लि.पता 21 [illegible]., कोलकाता 70001 ([illegible] बगाल) जरिये महेश पंवार पुत्र सोहन[illegible] लौहार नि.ब्यावर जिला अजमेर।
32. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधि0 जैतारण जिला पाली (राज)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

दावा बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.23/10/2020**

उपस्थितः. 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर, श्री भाकर सिंह भाटी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 11/08/2021**

वकील मय वादीगण ने राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पट्वार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 2092 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा किस्म सेवज अव्वल की आई हुई है उक्त खसरे की भूमि में वादीगण2/9 हिस्से यानि 1 बीघा 06 बिस्वा भूमि पर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है तथा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग अलग बंटी हुई है व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त है, मगर वादीगण व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि एक खाते के रुप में शामलाती दर्ज है व नक्शा ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई है। मौके पर कब्जे व काश्त अनुसार अलग अलग तरमीम की हुई नहीं है। तथा विवादित आराजी को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा । वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 की व नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा नही हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है। परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादीगण के साथ उक्त कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादीगण की खन्दक/मेडबन्दी तारबन्दी को तोडफोडकर देते है एवं वादीको हर समय उनके हक हिस्से की भुमि से बेदखल करने पर आमादा रहते है। जबकि मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से एवं खातेदारी भूमि पर काबिज है एवं मनागना काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण की वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि2/9 हिस्से यानि 1 बीघा 06 बिस्वा [illegible] के पर बंटी हुई है। वादी का अलग सें कब्जा व काश्त है वादीगण ने [illegible] कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिटस् [illegible] बाउण्डस् के तकासमा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा [illegible] में तरमीम करने का तकास्मा करवाने का कहा मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होने बंटवाडा करवाने सें दिनांक 30.09.2020 को मना कर दिया जबकि प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

को ऐसा करने का कोई काननी अधिकार नही है, वादी अपनी भूमि का बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा करवाने का अधिकारी है इसलिए दावा तकास्मा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। बाद तकास्मा आराजी वादीगणअपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग, उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने के अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलादांजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नही हैं, यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीको असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही है, प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीको बार बार फौजदारी मुकदमें करने पडगे। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिंडिंग्स होगी। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 32तहसीलदार साहब, जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर है जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जो बंटवाडे के वाद मे आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नही चाही गई है। वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार नेना, नेमा पुत्र मेमदा फोत हो चुके है जिसके वारिसान निम्न है

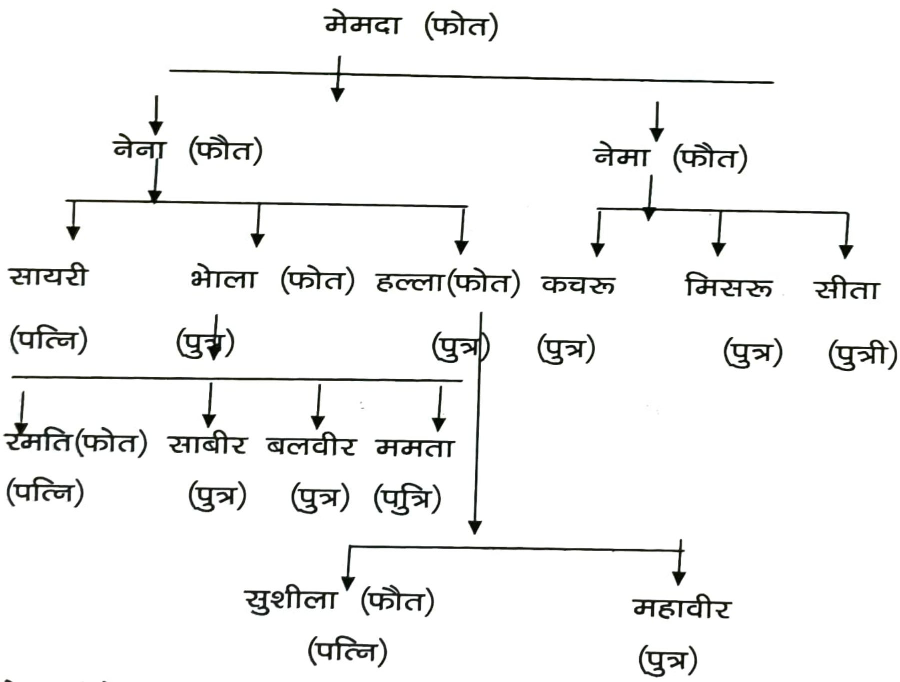

नेना (फौत) पुत्र मेमदा विधिक वारिस सायरी पत्नि नेना एव भोला पुत्र नेना(फौत) व हल्ला पुत्र नेना(फौत) है। दोनो विधिक पुत्र फौत होने की [illegible] से भोला के वारिसान रमति पत्नि भोला(फौत) साबीर पुत्र भोला, [illegible]वीर पुत्र भोला, ममता पुत्री भोला है तथा हल्ला पुत्र नेना(फौत) होने की वजह से विधिक वारिसान निम्न सुशीला पत्नि हल्ला (फौत) महावीर पुत्र हल्ला है जिनको इस वाद में प्रतिवादी संख्या 17 से 21 के रुप में पक्षकार बनाया गया है [illegible]म भोला पुत्र नेना एव हल्ला पुत्र नेना के और कोई विधिक वारिसान नही है। वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार नेमा पुत्र मेमदा फोत हो चुके है जिसके वारिसान निम्न है कचरू पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर प्रदेन
उपखण्ड अधिकारी
(पाली)

नेमा,मिसरू पुत्र नेमा,सीता पुत्रि नेमा है।जिनको इस वाद में प्रतिवादी संख्या 22 से 24 के रुप में पक्षकार बनाया गया है नेमा पुत्र मेमदा के और कोई विधिक वारिसान नही है। बिनाय दावा दिनांक 30.09.2020को वादीद्वारा प्रतिवादीगण कोवादीगण के हिस्से की भूमिका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंट्वाडा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करनेएवं बिना बंटवाडा करवाये सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण करने एवं वादीगण को उनके हक हिस्से व कब्जे की भुमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम भीवंगढ (रास) तहसील जैतारण जिला पाली में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने से उक्त वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06, 10, 13 से 24, 26, 28 से 31 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन् सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 07 से 09, 11 व 12 की और से वकालतनामा पेश हुआ, जवाब दावा पेश नहीं करना चाहते है, जवाब दावा बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 25 व 27 की ओर से वकालतनामा व जवाब दावा पेश हुआ जो सा0मि0 है। उभयपक्ष अधिवक्ता ने सहमति से उक्त वाद प्राथमिक डिक्री किये जाने कि इस्तदुआ की, सहमति स्वरुप आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र, शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा ग्राम भींवगढ़ सम्वत् 2072–2075 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 2092 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 07 से 09, 11 व 12, 25 व 26 के हक–हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 2092 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा किस्म सेवज अव्वल में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप कर[illegible] करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को [illegible] अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2021/59[illegible] [illegible]/01/2021 एवं पत्रांक/कोर्ट/2021/526 दिनांक 08/07/2021 द्वारा [illegible]ादेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/21/2275 दिनांक 16/07/2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंट्याड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंट्याड़ा किये जाने की ईशतदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंट्याड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंट्याड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 2092 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा किस्म सेवज अव्वल भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रुप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा–बिस्वा	किस्म	लगान
1	चम्पालाल पुत्र गुलाराम, कौम–मेघवाल, सा. गांव बाड़सा, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली खातेदार	2092	01–06	से0अ0	1.30
2	रामगोपाल हॉल्डिग प्रा.लि.पता 21 स्ट्रडे रोड., कोलकाता 70001(पं. बगाल)जरिये महेश पंवार पुत्र सोहनलाल लौहार नि.ब्यावर जिला अजमेर खातेदार	2092/3	0–10	से0अ0	0.50
3	गिरधारी, किशना, हडमान, श्यामलाल, घनश्याम पुत्र चन्द्रा, बिदामी पत्नि चन्द्राराम कौम– कुमार सा0देह0 खातेदार	2092/5	0–07	से0अ0	0.05
4.	तुलसी पुत्र दयालराम हि. 1/2, छोटुराम पुत्र दयालराम हि. 1/2, कौम– रेगर सा. देह खातेदार	2092/1	0–04	से0अ0	0.02
5.	चम्पा पत्नी पांचुराम हि. 54/514, भीकाराम पुत्र हरजी हि. 27/514, जिमना पत्नी हरजी हि. 27/514, लक्ष्मण पुत्र बीजा हि. 18/514, योगेश पुत्र बीजा हि 18/514, ढगलाई पत्नी बीजा हि. 18/514, मंगाराम पुत्र नैनाराम हि. 36/514,	2092/4	01–02	से0अ0	0.27
		2092/2	0[illegible]	से0अ0	0.29
		2092/6	0–[illegible]	[illegible]	0.13

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

	खेताराम पुत्र नैनाराम हि. 36/514, श्यामलाल पुत्र नैनाराम हि. 36/514,अ अनोपी पत्नी नैनाराम हि. 36/514, कौम– कुमार, नेमा पुत्र मेमदा के कायम मुकाम पर कधरू पुत्र नेमा हि. 24/514, मिसरू पुत्र नेमा हि. 24/514, सीता पुत्री नेमा हि. 24/514, नेना पुत्र मेमदा के कायम मुकाम पर सायरी पत्नी नेना हि. 24/514, साबीर पुत्र भोला हि. 8/514, बलबीर पुत्र भोला हि. 8/514, ममता पुत्री भोला हि. 8/514, महावीर पुत्र हल्ला हि. 24/514, कौम– मेरात, मंजू देवी पुत्री दयाराम हि. 16/514, माया पुत्री दयालराम हि. 16/514, संजू पुत्री दयालराम हि. 16/514, पतासी पत्नी दयालराम हि. 16/514, कौम– रेगर सा. देह खातेदार।				

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 11/08/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:19 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. चम्पालाल पुत्र गुलाराम,
   जाति मेघवाल, निवासी गांव
   बाइसा, तहसील मारवाड़
   जंक्शन, जिला पाली।

1. चम्पा पत्नि पाचू
2. भीका पुत्र हरजी
3. जिमना पत्नि हरजी
4. लक्ष्मण पुत्र बींजा
5. योगेश पुत्र बींजा
6. ढगलाई पत्नि बींजा
7. गिरधारी पुत्र चन्द्रा
8. किशना पुत्र चन्द्रा
9. हडमान पुत्र चन्द्रा
10. घनश्याम पुत्र चन्द्रा
11. श्यामलाल पुत्र चन्द्रा
12. बिदामी पत्नि चन्द्रा
13. मंगाराम पुत्र नेना
14. खेताराम पुत्र नेना
15. श्यामलाल पुत्र नेना
16. अनोपी पत्नि नेना कौम कुम्हार
    साकिन ढाणी भीवगढ।
17. सायरी पत्नि नेना
18. साबीर पुत्र भोला
19. बलवीर पुत्र भोला
20. ममता पुत्री भोला
21. महावीर पुत्र हल्ला
22. कचरू पुत्र नेमा
23. मिसरू पुत्र नेमा
24. सीता पुत्री नेमा कौम मेहरात
    साकिन ढाणी भीवगढ।
25. तुलसी पुत्र दयालराम
26. छोटूराम पुत्र दयालराम
27. पतासी देवी पत्नि दयालराम
28. मंजूदेवी पुत्री दयालराम
29. संजूदेवी पुत्री दयालराम
30. माया देवी पुत्रि दयालराम कौम रेगर
    [illegible]
31. रामगोपाल [illegible] लि.पता
    [illegible]
    [illegible] पुत्र
    [illegible] मि.ब्यावर जिला
    अजमेर।
32. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधि0
    जैतारण जिला पाली (राज)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:19 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई मु0न0 :रा0वा0 स0: 118/2020

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर, श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 2092 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा किस्म सेवज अव्वल भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा-बिस्वा	किस्म	लगान
1	चम्पालाल पुत्र गुलाराम, कौम-मेघवाल, सा. गांव बाड़सा, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली खातेदार	2092	01-06	से0अ0	1.30
2	रामगोपाल हॉल्डिग प्रा.लि.पता 21 स्ट्रडे रोड., कोलकाता 70001(पं. बगाल)जरिये महेश पंवार पुत्र सोहनलाल लौहार नि.ब्यावर जिला अजमेर खातेदार	2092/3	0-10	से0अ0	0.50
3	गिरधारी, किशना, हडमान, श्यामलाल, घनश्याम पुत्र चन्द्रा, बिदामी पत्नि चन्द्राराम कौम- कुमार सा0देह0 खातेदार	2092/5	0-07	से0अ0	0.05
4.	तुलसी पुत्र दयालराम हि. 1/2, छोटुराम पुत्र दयालराम हि. 1/2, कौम- रेगर सा. देह खातेदार	2092/1	0-04	से0अ0	0.02
5.	चम्पा पत्नी पांचुराम हि. 54/514, भीकाराम पुत्र हरजी हि. 27/514, जिमना पत्नी हरजी हि. 27/514, लक्ष्मण पुत्र बीजा हि. 18/514, योगेश पुत्र बीजा हि 18/514, ढगलाई पत्नी बीजा हि. 18/51[illegible], मंगाराम पुत्र नैनाराम हि. 36/514,	2092/4 2092/2 2092/6	01-02 01-15 0-13	से0अ0 से0अ0 से0अ0	0.27 0.29 0.13

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

	खेताराम पुत्र नैनाराम हि. 36/514, श्यामलाल पुत्र नैनाराम हि. 36/514,अ अनोपी पत्नी नैनाराम हि. 36/514, कौम- कुमार, नेमा पुत्र मेमदा के कायम मुकाम पर कचरू पुत्र नेमा हि. 24/514, मिसरू पुत्र नेमा हि. 24/514, सीता पुत्री नेमा हि. 24/514, नेना पुत्र मेमदा के कायम मुकाम पर सायरी पत्नी नेना हि. 24/514, साबीर पुत्र भोला हि. 8/514, बलबीर पुत्र भोला हि. 8/514, ममता पुत्री भोला हि. 8/514, महावीर पुत्र हल्ला हि. 24/514, कौम- मेरात, मंजू देवी पुत्री दयाराम हि. 16/514, माया पुत्री दयालराम हि. 16/514, संजू पुत्री दयालराम हि. 16/514, पतासी पत्नी दयालराम हि. 16/514, कौम- रेगर सा. देह खातेदार।				

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंट्वाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-. नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....को अदा करें । .....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें । आज तारीख 11/08/2021 को जारी बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख

किया गया ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला- पाली)

मोहर

मुद्दई	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वजह सबूत	/
महनताना वकील	
खर्चा गवाहान	03-00
फीस कमीश्नर	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/
मिजान:-	07-00

मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	06-00
स्टाम्प अर्जी	
महनताना वकील	
खर्चा गवाहान	
फीस कमीश्नर	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	
मुत्फर्रिक	
मिजान:-	06-00

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:19 IST
Reason: SelfAttested